

संस्थानम्

शैक्षिक आचार्य-शिक्षा परिषद्

विस्तार परिषद् सम्बन्धित

संख्या:- प्राथमिक/विस्तार सम्बन्धित/2021/11537

मसंख्या: दिनांक: 09/08/2021

आचार्य आदेश

अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली, भारतीय चिकित्सा आचार्य परिषद्, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2021-22 हेतु डिग्री/डाक्टरेट/सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद्, अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद् आचार्य आदेश संख्या: 1592/2021 के तहत निर्देशित है। शैक्षिक समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण के आधार पर संस्थाओं को मसंख्या: 1592/2021 के तहत विस्तार प्रदान किया जा रहा है। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बन्धी विस्तार प्रदान किया जाने का निर्देश किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक की तिथि 07.08.2021 को निर्देश के अन्तर्गत से परिषद् संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा परिषद्, 30 पर मसंख्या: 1592/2021 हेतु निर्देशित है। शैक्षिक समिति द्वारा निर्देशित आचार्य आदेश संख्या: 1592/2021 के तहत विस्तार प्रदान किया जा रहा है।

संस्था का कोड एवं नाम: 1234-APEX COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST- KAUSHALGANJ, TEHSIL-BILASPUR, RAMPUR-244921

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए.आई.एस.सी.टी.ई.पी. पी.सी.आई.पी. द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	DIPLOMA IN PHARMACY	02	02

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए.आई.एस.सी.टी.ई.पी./पी.सी.आई.पी. द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद् द्वारा 1592/2021 के प्राथमिक शिक्षा परिषद् विनियमवली 1992, गैर-रिटर्न विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में (शुल्क) चतुस्तरीय हेतु ₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों में फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष में दो वर्षों में पाठ्यक्रमों (दो वर्षों में फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही (शुल्क) छात्रों से प्राप्त किया जाएगा। उभरोक्त के अतिरिक्त छात्रों द्वारा से शुल्क के सम्बन्ध में राजस्व संचय पर शासन द्वारा निर्धारित किया जाने वाले शासनादेश प्रभाव होंगे। और नन्दपुरा कायेमसी किया जाता आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का शुल्क निर्धारण किया गया है, जो फीस को लघुतम दर लागू होगी।



APEX COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST- KAUSHALGANJ, TEHSIL-BILASPUR, RAMPUR-244921

अनुसूचित जातों के अन्तर्गत आने वाले लोगों को समानता, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाने।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा उपरोक्त वर्गों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीर्ष के स्थित रह जाने की स्थिति में उच्च प्रवेश परीक्षा के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था का स्थापना-कार्य पर निर्देश सामन्तदेश के अनुसूचित निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुलभ जसा करना होगा।
- ✓ संस्था को एग्राइजिस्ट्री (पीपीसी/आई) से सम्बन्धित अनुसूचित प्राप्ति किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रदेश सामन्त देश के लिये निम्नलिखित (अधिलेखित) सामन्तदेश (निर्देश) एवं निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उपाध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परीक्षा, उपाध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विपरीत इन कार्यवाही पाठ्यक्रम की संस्थाएं लोटे थीं। कोई नई दिल्ली से अनुसूचित प्राप्ति करने में असफल रहती है तो इस संबंध में संस्था उच्चतर/सिद्ध-संस्था का होगा और विधिक रूप से विपरीत भी नाराजगी के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परीक्षा, उच्चतर प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रदेश सरकार को कोई वेद क्षमता किताबें तथा कार्य का संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति स्वयं आदेश निर्गत किया जाता है जो सम्बद्ध प्रतिभूति संबंधित संस्था को बतानी होगी।
- ✓ दिल्ली का इस परिषदों परीक्षाएं सम्बन्धित करने वाले संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उच्चतर प्रदेश नववर्ग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय प्राप्ति होने के पूर्व पीपीसी/आई से अनुसूचित प्राप्ति कर लेना, कार्यालय जो उपलब्ध करता होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आयोजित) के सम्बन्ध में अधिका संस्था स्तर पर शीर्ष प्राप्ति। अनुसूचित नहीं प्राप्ति की जायेगी।
- ✓ उच्चतर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश नवीनतर अनुसूचित नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बद्धता सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, कार्यलय शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था का निरीक्षण/परिष्करण हेतु उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्ति उपलब्ध करने के साथ रेगिमेंट रीजनों के सम्बन्ध में सम्बद्धता अधिका संस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रस्तावित सम्बन्धित पाठ्यक्रम को चलाने आने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त, भूमि प्राप्ति, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी उच्चतर पाठ्यक्रम के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होता है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य काम के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ संस्था का स्थायी निरीक्षण होगा यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एग्राइजिस्ट्री (पीपीसी/आई) परीक्षा के अनुसूचित प्राप्ति उपलब्ध नहीं प्राप्ति जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता गतों का अनुपालन न किये जाने अथवा गतों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचित प्राप्ति कार्यवाही की जायेगी।


2024/03/24

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

सूचो- काशी/राज्य संख्या/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रातिनिधि -

पञ्जाब/राज्य संख्या/2021/3538-4809
APEX COLLEGE OF PHARMACY, VILL & POST KAUSHALGANJ, TEHSIL
BILASPUR (RAMPUR-24422)



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



कार्यालय

संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2022/10091

लखनऊ दिनांक: 31/10/2022

कार्यालय आप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मंत्र दिल्ली कार्यालय का सम्मिलित और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ ने सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 31/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवध हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अधोदिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संज्ञाहित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नये पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिपे गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -


संस्था का कोड एवं नाम : 1234-APEX COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासन-देशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्रछात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पेशावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रतिक-निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की न्यूनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अधिदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविधियों अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशांक प्राविधिक शिक्षा उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा किये गये निर्णयों/विनियमों/विनियमों/विनियमों का पालन करना है।

- ✓ यदि संस्था का एपेक्स/पीसीआई/पीसीआईआर/से अनुमोदन विरक्त किया जाता है तो इस संबंध में जनता जागरूकता संस्था का होगा और विभिन्न स्तर से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
- ✓ प्राथमिक शिक्षा परिसर, तृतीयक प्रवेश परीक्षा परिसर, प्राथमिक शिक्षा विदेशांतरण एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरक्त यदि कोई बात बाध किया जाता है तथा दाखल बाध के संबंध में मा. पर्यावरण द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्था को तृतीयक प्रवेश परीक्षा परिसर, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग पराम होने के पूर्व एपेक्स/पीसीआई/पीसीआईआर/से अनुमोदन प्राप्त कर परिसर कार्यालय की उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अंश पर (सीपी एंटर) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समस्त स्तर पर निर्गत सर्वप्रथम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उचित वातावरण उपलब्ध करने के साथ रेगिन रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मिक, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिसर को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-संसाधन एपेक्स/पीसीआई/पीसीआईआर/परिसर के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुकारनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफएआरओ खान)

सचिव


पुं०सं०- प्राथम/परिसर सम्बद्धता/2022/10092-10140

दिनांक: 31/10/2022

प्रतिष्ठि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, APEX COLLEGE OF PHARMACY


ApeX College of Pharmacy (1234)


(एफएआरओ खान)

सचिव

कार्यालय,

संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार,

संख्या - प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

तखनऊ दिनांक 12-09-2023

कार्यालय भाषण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कार्मिकी काउन्सिल, बीज इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से सवालित जिल्लोमा सरोग तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कम्पनी दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी काउन्सिल, बीज इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तैर गए निर्णय के अनुरूप में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकिरा प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1334-APEX COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०, पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अध्यापक उ० प्र० तखनऊ से मात्र संख्या 011/15-उ०प्र०/2022 टी०सी० 1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से सवालित सरोग संस्थानों की बीज के किरुड भारतीय न्यायलय में पंजिल रिट (अकिरा) संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायलय के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता निर्मित की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी काउन्सिल, बीज इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक की सभी शर्तें पारों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी काउन्सिल, बीज इंडिया, नई दिल्ली के नालक के अनुरूप संस्थान में भारत संस्थान (धुरि, भवन, सेवा उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली 2000 सेमिनर विनियमवली 2016 तथा संस्था-संस्था पर निर्भर नालनदेवी का अनुपालन करेगी तथा सुल्का निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुल्का की प्रत्येक वर्षावस्था में प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त शर्तों से सुल्का के सम्बन्ध में समग्र समझ पर सातन द्वारा निर्मित किये जाने वाले नालनदेवी प्रभावी होंगे, और उपरोक्त कारीवारी शिक्षा ज्ञान अवसरक होगा। प्रांस निधारण निर्मित द्वारा एक्ट सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निधारण किया जाता है। प्राविधिक की नालनदेवी पर उपलब्ध होगी।
- ✓ संस्था में सुल्का प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित जागे की ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को संस्था-संस्था पर निर्भर नालनदेवी के अनुसार निर्देशक एवं सम्बद्धता सुल्का जमा करना होगा।

- ✓ संसद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिमामले अधिकांश संसदीय कार्य के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश संसदीय परिषद परिषद, 2023 का प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2023 द्वारा बनाये गये विधान विधान, अंतर्गत शिक्षा की पूर्णता करने के लिए आवश्यक है।
- ✓ यदि संसद का अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद/अध्यक्ष के अंतर्गत और होना, यदि दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इस संदर्भ में संसद अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद और शिक्षा संसदीय परिषद के लिए संसद द्वारा उत्तरदायी होती। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संसदीय परिषद परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशिका एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशिका उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 2023 का प्राथमिक शिक्षा कार्य है तथा उत्तर प्रदेश के संसदीय में ग. भाग/भाग द्वारा शिक्षा प्रदान की प्रतिस्थापित करने। अंतर्गत निर्देश किया करने के अंतर्गत प्रतिस्थापित संसदीय संसदीय कार्य को करनी होगी।
- ✓ संसदीय को संसदीय परिषद परिषद, उत्तर प्रदेश संसदीय द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए संसदीय प्राथमिक शिक्षा से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाना होगा अंतर्गत। यदि संसदीय परिषद/अध्यक्ष के अंतर्गत शिक्षा परिषद/अध्यक्ष के अंतर्गत और दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाना होगा अंतर्गत। यदि संसदीय परिषद/अध्यक्ष के अंतर्गत शिक्षा परिषद/अध्यक्ष के अंतर्गत और दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाना होगा अंतर्गत।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित होने वाले संसदीय कार्य/विधान विधान को अनुमोदन करने आवश्यक होगा।
- ✓ संसदीय को अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद/अध्यक्ष के अंतर्गत और दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाना होगा अंतर्गत।
- ✓ संसदीय को प्राथमिक शिक्षा निर्देशिका, 2023 अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत में अंतर्गत, अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत करनी होगी।
- ✓ संसदीय को सुनिश्चित हो कि संसदीय में अखिल भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद/अध्यक्ष को अंतर्गत और दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाना होगा अंतर्गत।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद/अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद/अध्यक्ष 2023 के प्राथमिक शिक्षा परिषद/अध्यक्ष की संसदीय और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद/अध्यक्ष के अंतर्गत में अंतर्गत, अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत अंतर्गत करनी होगी।
- ✓ संसदीय को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के अंतर्गत और दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाना होगा अंतर्गत।
- ✓ संसदीय को अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के अंतर्गत और दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/अध्यक्ष को उत्तरदायी बनाना होगा अंतर्गत।


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पुसं0- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2023
(12090002-12091230)

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिष्ठिति:
प्रधानाचार्य/निदेशक APEX COLLEGE OF PHARMACY


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव